राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3), शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 40(63)ग्रावि / नरेगा / Conver.Gen./ पार्ट–2 / 2019 जयपुर, दिनांक : 07 AUG 202

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर, समस्त।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति जारी करने बाबत्।

प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20.07.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की समस्त शक्तियां जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस एवं जिला कलक्टर को प्रदान की गई हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना में नियमानुसार अभिसरण वांछनीय है और इसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं के अतिरिक्त अन्य योजनाओं के अभिसरण में सरलता की दृष्टि से यह निर्देश दिया जाता है कि कन्वर्जेन्स के तहत कार्यो की स्वीकृति पूर्व अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जिला कलक्टर व जिला परिषद को प्रति सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुये रूपये 5.00 लाख तक एवं पंचायत समिति द्वारा रूपये 10.00 लाख तक जारी की जा सकेगी, परन्तु जारी स्वीकृतियों का 15 दिवस में जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस एवं जिला कलक्टर द्वारा अनुमोदन लिया जाना आवश्यक होगा।

(अपर्णा अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं परावि, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
6. अतिरिक्त आयुक्त प्रथम / द्वितीय,ईजीएस।
7. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, ईजीएस।
8. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
9. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि / ईजीएस।
10. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
11. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस जिला परिषद समस्त।

आयुक्त ईजीएस

Scanned with CamScanner